प्रा.पत्र मुन्त./41/2022 **न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर**

राधे पुत्र मानसिंह उम्र 75 वर्ष जाति गडरिया यनिवसी ग्रांम पहरसर तहसील नदबई
.....प्रार्थी

बनाम

1—जयराम पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी कांमा हाल निवासी रथखाना मौहल्ला अलवर राज0
2—आसीन पुत्र समेर खॉ जाति मेव निवासी गढ अजान तहसील कांमा जिला भरतपुर
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी दिनेश शर्मा कांमा मुकदमा उनवानी जयराम वगे.बनाम राधे मु0न0 248/2002

———

उपस्थितः—
1—श्री पुरुषोत्तम मुदगल, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 28.6.2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि गैरसायल अप्रार्थी संख्या 2 आसीन मेव वहॉ की विधायक एवं राज्य मंत्री जाहिदा का सुसर है, जाहिदा व गैरप्रार्थी न0 2 न्यायालय में अपनी अच्छी पहूंच रखते हैं। अप्रार्थी की साक्ष्य प्रस्तुत की थी, जिसमें गवाह उनके माफिक बयान नहीं दे रहा था तो अप्राथी संख्या 2 उसे न्यायालय से बाहर ले गया और पुनः समझाकर न्यायालय में बयान कराये। इस बाबत पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि गवाह इस तरह से कोर्ट छोडकर दुबारा बयान कैसे दे सकता है। पीठासीन अधिकारी ने कह दिया कि मेरे ऊपर दबाब आ रहा है, मुकदमा आपके खिलाफ निर्णित कररुंगा। प्रार्थी को इस मुकदमा को लडते लडते 30 साल हो गये हैं दिनांक 21.3.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा डायस पर ही प्रार्थी से यह कह दिया कि इस मुकदमा में न्याय दिया जाना मुझसे सम्भव नहीं है। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थना मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर उक्त मुकदमा को एस.डी.ओ. कांमा के न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिली किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी एवं एस.डी.ओ. कांमा से टिप्पणी तलब की
.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ शामिल मिसिल किया गया। एस.डी.ओ. कांमा से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि मुकदमा उनवानी जयराम वगे.बनाम राधे मु0न0 248/2002 न्यायालय एस.डी.ओ.कांमा के यहॉ विचाराधीन है। अप्रार्थी न0 2 विधायक एवं राज्य मंत्री जाहिदा का सुसर है, इस बजह से गैरप्रार्थी न0 2 पीठासीन अधिकारी पर उक्त मुकदमा में अपने प्रभाव से एस.डी.ओ. पर दबाब बनाये हुये है। अप्रार्थी न0 2 ने प्रार्थी से कह दिया है मुकदमा उसके हक में फैसल होगा, मैं जैसा चाहुंगा पीठासीन अधिकारी वैसा ही करेंगें। पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं उनके कथनों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को एस.डी.ओ.कांमा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय एस.डी.ओ.कांमा में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि पत्रावली पिछले एक डेड वर्ष से प्रार्थी की साक्ष्य में चल रही है प्रार्थी को कई अंतिम मौके दिये गये है प्रार्थी जानबुझकर साक्ष्य नहीं करा रहा है इस कारण पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण को बहस में नियत कर दी। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी का मकसद प्रकरण को निस्तारण नहीं करना है इस लिये देरीना करने की नियत से मुन्तकिली प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया, एस.डी.ओ. कांमा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके जुबानी आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी का उद्वेश्य विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर